न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 125/2012

दायर तारीख 09.11.2012

अनवान

01 देवराज सिंह पिता मोहनसिंह जाति राव निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।
02 जौधसिंह पिता दुर्गालाल जाति राव निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।
03 भंवरसिंह पिता दुर्गालाल जाति राव निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।
04 शंकरसिंह पिता करण सिंह जाति राव निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।
05 कल्याणबाई पिता करण सिंह जाति राव निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।
06 सज्जन कंवर पिता करण सिंह जाति राव निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।

...........प्रार्थीगण

बनाम

01 मांगीलाल पिता कजोड धाकड निवासी जांवदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
02 गोविन्दलाल पिता पन्नालाल धाकड निवासी जांवदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
03 राजी पिता कजोड़ जाति धाकड़ निवासी जांवदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।

..........................अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री सुनील कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री छीतर लाल धाकड अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–16.01.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया की हम प्रार्थीगणों के स्वामित्व के खातेदारी कृषि भूमि ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलिया के सरहद में स्थित आराजी संख्या 676, 677, 680, 681, 683, 686, 675, 676/1, 679/1, 679, 682/1, 684, 682, 685, कुल किता 14 रकबा 13–06 बीघा भूमि दर्ज रेकॉर्ड हैं। प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 679/1 पर आने जाने के लिए 10 फीट रास्ता आराजी नम्बर 625, 626 विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है ग्राम बिजौलिया से ग्राम जाबदा से विपक्षीगण की आराजी नं. 625, 626 के मध्य से उत्तर दिशा में स्थित प्रार्थी की आराजी नं. 679/1 के उत्तरी दक्षिणी कोने पर पहुचता है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ते की हंकाई कर पत्थर डालकर रास्ते को अवरूद्ध कर प्रार्थी को खेत पर आने जाने नही देते है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। वर्तमान में रास्ता अवरूद करने से प्रार्थी फसल की बुवाई नही कर सका। पूर्व में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात एक ही खातेदार की थी जो जरिये विक्रयपत्र से अलग अलग हुई तब से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षो से खातेदार करते आ रहे है। विक्रयपत्र में उक्त रास्ते का उल्लेख होने के बावजूद भी विपक्षीगण उक्त रास्ते से होकर नही जाने दे रहे हैं। प्रार्थी विपक्षीगण की आराजी नं. 625, 626 के मध्य स्थित 10 फिट चोडे रास्ते के बदले में तय किया जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त पुराने रास्ते को नियमानुसार कायम करवाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगणों की ओर से अधिवक्ता श्री छीतरलाल धाकड ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीगणों की उक्त भूमि में जाने लिए बिजौलियाकलां की सरहद की आराजी नम्बर 1668/579 रकबा 18 बिस्वां के उत्तर दिशा में होकर प्रार्थीगण की सम्पूर्ण आराजीयात का रास्ता प्रार्थीगण के पुरखों के समय से निकल रहा हैं। मौके पर रास्ते के निशान अभी मौजूद हैं। तथा मौके पर प्रार्थीगणों का कुआ खुदा होकर फसल काश्त की हुई हैं। प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात के पश्चात् आराजी नम्बर 578 जो मौके पर रास्ता होकर दोनों तरफ दीवार होकर बीच में बदस्तूर कायम होकर सीधे पहुंचता हैं। प्रार्थीगण ने इस रास्ते के अलावा अन्य किसी रास्ते का उपयोग नहीं किया हैं। प्रार्थीगण ने इस रास्ते का उपयोग कर ही फसल काश्त की हैं एवं अभी भी इसी से आ जा रहे हैं। विपक्षीगण कृषि आराजीयात प्रार्थीगण की आराजीयात के उत्तर दिशा में स्थित होकर दोनों विपक्षीगणों के आराजीयात के मध्य प्रार्थीगण न तो कभी निकले हैं एवं न ही मौके पर रास्ते के आलामात हैं। प्रार्थीगण के पास पहले से रास्ता मौजूद होते हुए परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वकील विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात जिसमें प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा हैं। वह आराजी नम्बर 1668/579 ग्राम बिजौलियां के साथ मौका रिपोर्ट तलब करने की मांग की हैं। प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक 438 दिनांक 28.05.2014 से पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया की ग्रा बिजौलिया में आराजी नम्बर 578 रकबा 10 बिस्वां प्रसेनजीत रूद्धदेव की खातेदारी में हैं। और यह खसरा एक रास्तेनुमा पट्टी के रूप में रेकॉर्ड में दर्ज हैं जो मौके पर खाली हैं। इससे आगे इन्ही खातेदारों का खसरा नम्बर 1668/579 आता हैं जो खेतनुमा हैं और वादी पक्षकार देवराज के खाते के खेत ग्राम जावदा की सीमा से लगता हुआ हैं। खातेदार रूद्धदेव द्वारा खसरा नम्बर 578 की सीमा जहां खतम होती है वहा पत्थर डालकर रास्ता बन्द कर दिया हैं। इस रास्ते को ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा कदीमी रास्ता मानते हुए प्रकरण संख्या 4/06 में रास्ता निकालने का आदेश जारी किया हैं इसकी अपील वर्तमान में राजस्व मण्डन अजमेर में विचाराधीन होकर दिनांक 18.07.2006 से स्थगन जारी हो रहा हैं।

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जावदा में स्थित होकर जावदा की आराजी से ही रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार बिजौलिया से इस भूमि के सम्बन्ध में तथा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट चाही गयी।

तहसीलदार बिजौलिया के पत्रांक राजस्व/2018/1636 दिनांक 18.12.18 से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंकित किया कि श्रीमान के न्यायालय विचाराधीन प्रकरण ग्राम जावदा की खातेदारी आराजीयात में आने जाने के लिए रास्ता का हैं। **इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा वादग्रस्त रास्ते की आराजीयात के सम्बन्ध में प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन नहीं हैं।**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बेचान में बिकावनामा सम्वत् 2014 में क्रय की गयी जमीन के विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं जिसमें भी विक्रेता ने अंकित कर रखा हैं कि **इस बेसुदा कुआ की जमीन पर सामदे व गाडे ले जाने को कदमीगडार मेरी जागीर का नया कुआ व कोटवालिया कुआ की जमीन के उगेनी तरफ ध्रव लंकाउ लम्बी है जिसमें होकर आप सामदे व गाडे ले जा सकेगें।**

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र व संलग्न दस्तावेजात मौका पर्चा, विक्रय पत्र का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की मांग की हैं।

अधिवक्ता विपक्षी ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि में ग्राम बिजौलिया में होकर जाने का रास्ता हैं। विकल्प में रास्ता होनें से प्रार्थना पत्र खारिज करना फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया ।

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

चूंकि प्रार्थीगण की भूमि खातेदारी भूमि ग्राम जावदा में स्थित होकर जावदा की आराजी से ही रास्ता चाहा गया हैं। तथा ग्राम जावदा के सम्बन्ध में कोई प्रकरण मण्डल में विचाराधीन भी नही हैं। तथा प्रार्थीगण को स्वयं की भूमि पर पहुचने के लिए विकल्प में कोई रास्ता नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

अतः उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थीगणों के स्वयं की ग्रांम जावदा स्थित आराजी नम्बर 626/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वां में से 0.04 बीघा व आराजी नम्बर 625 में से 0.04 बीघा कुला किता 2 रकबा 0.08 बीघा भूमि रास्ता प्रयोजन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त 0.08 बीघा भूमि की डीएलसी 68800 रूपयें प्रति बीघा से भूमि की मालिक 27520 का दुगुना 55040 रूपयें बतौर मुहावजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner